भारत का उच्चतम न्यायालय

//

भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।

इतिहास

- **1773**: रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई
- **1800**: मद्रास उच्चतम न्यायालय
- **1823**: बम्बई उच्चतम न्यायालय
- **1861**: उच्च न्यायालय अधिनियम ने उच्च न्यायालयों का सृजन किया, उच्चतम न्यायालयों को समाप्त कर दिया
- **1935**: भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय संघीय न्यायालय
- **1950**: भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना (अनुच्छेद 124)

संरचना

- **संख्या:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीश
- **योग्यता:** भारतीय नागरिक; 5 वर्ष के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/10 वर्ष के लिये अधिवक्ता/प्रतिष्ठित न्यायविद्
- **कार्यकाल:** 65 वर्ष की आयु तक (जब तक वह इस्तीफा नहीं देता है/राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता)
- **वेतन:** संसद द्वारा निर्धारित
- **महाभियोग:** राष्ट्रपति द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन पर

क्षेत्राधिकार

मूल, रिट, अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार

- **मूल:** सरकार और राज्यों के बीच विवाद (अनुच्छेद 131); संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)
- **रिट:** मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने के अधिकार (अनुच्छेद 139)
- **उच्च न्यायालयों से अपील:**
  - संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132)
  - सिविल मामले (अनुच्छेद 133)
  - आपराधिक मामले (अनुच्छेद 134)
  - विशेष अवकाश (अनुच्छेद 136; **विवेकाधीन शक्ति**)
- **सलाहकार:** राष्ट्रपति की सलाह (अनुच्छेद 143)

अन्य शक्तियाँ

अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या आदि।

- **अनुच्छेद 129:** अवमानना हेतु दंडित करने की शक्तियाँ
- **अनुच्छेद 137:** उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा
- **अनुच्छेद 141:** उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं
- **अनुच्छेद 142:** उच्चतम न्यायालय के आदेश और अध्यादेश लागू करने का अधिकार
- **अनुच्छेद 147:** उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है

उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश

- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश:** आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- **तदर्थ न्यायाधीश:** कोरम संबंधी मुद्दों के लिये मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त
- **सेवानिवृत्त न्यायाधीश:** मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से पुनः नियुक्त कर सकते हैं

Drishti IAS

और पढ़ें: भारत का उच्चतम न्यायालय

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-of-india-1